

कार्यालय - उप जिलाधिकारी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

वाल्मीकि नगर

उपखण्ड उत्तर मोहा

परिक्षेत्र के 1 ली. सडा 37

कुल 516 टा. रि.

के विकास खण्ड सल्ट

में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable from**

Shankarpur - Marchulla - Muhan (Total Length 9.3 Km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.579 है 0 तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.579 है 0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)** के पक्ष में वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सल्ट) की दिनांक 27.4.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री उप जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी सल्ट अध्यक्ष।
2. श्री उप प्रभागीय वनाधिकारी उप प्रभागीय वनाधिकारी सल्ट सदस्य।
3. श्री उप सहायक समाज कल्याण अधिकारी उप सहायक समाज कल्याण अधिकारी सल्ट सदस्य।
4. श्री बी 0 डी 0 सी 0 क्षेत्र बी 0 डी 0 सी 0 क्षेत्र सल्ट सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चमोली वन प्रभाग के क्षेत्र पंचायत नगर विकास खण्ड सल्ट में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable from Shankarpur - Marchulla - Muhan (Total Length 9.3 Km)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.579 है 0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)** के पक्ष वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु में अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी (सल्ट) वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसम्मति से अनुमति परिक्षेत्र के अन्तर्गत सल्ट वन प्रभाग के सल्ट रेंज अन्तर्गत जनपद सल्ट के विकास खण्ड सल्ट में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable from Shankarpur - Marchulla - Muhan (Total Length 9.3 Km)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.579 है 0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)** को अनुमति में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

तहसील सल्ट / जनपद सल्ट
प्रतिलिपि - जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

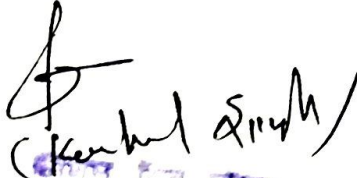
उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
जिला-प्रभागीय उत्तर मोहा

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
उप जिला अधिकारी

उप जिलाधिकारी, द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद Almora के विकास खण्ड Sulit में RoW permission for laying Optical Fiber Cable from Shankarpur - Marchulla - Muhan (Total Length 19.3 Km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.579 है० वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पत्र सं० 11-9 /98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा सड़क निर्माण, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त रखा गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के कम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित/आंबटित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आंबटित 0.579 है० वन भूमि / बंजर कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।




(कमल शर्मा)
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा


तहसीलदार
बल्ल (खुमांड)
जिला अल्मोड़ा


उप जिलाधिकारी
तह
जिला-अल्मोड़ा उत्तराखण्ड